

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

अनुवान :- पूर्णाराम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या :- 114/2024

निर्णय दिनांक :- 21/06/2024

पूर्णाराम पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी बुचावास तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरु

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री प्रभुदयाल सहारण अभिभाषक वारते प्रार्थी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरु वास्ते अप्रार्थी

-: निर्णय :-

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट इस आशय का पत्र लिखा कि कृषि भूमि खसरा नं. 3328/2851 तादादी 1.5680 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम बुचावास तहसील तारानगर जिला चूरु का खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। कृषि भूमि के पड़ोसियान हमेशा सींचा जावेत प्रार्थी के साथ झगडा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थी अपने खेत के चारो तरफ बाड़ लगाकर सही ढंग से नहीं कर सकता ना ही अपने खेत को सुधार सकता है। व उक्त कृषि भूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रार्थी की कृषि भूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढी करवाना चाहता है। आदि-आदि।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नहीं होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

वहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने वहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की वहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खेत कृषि भूमि

खसरा नं. 3328/2851 तादादी 1.5680 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम बुचावास तहसील तारानगर जिला



उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरु)

चूरु की रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। प्रार्थी अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारों ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है।

वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 3328/2851 तादादी 1.5680 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम बुचावास की राजस्व नक्शा के मुताबिक पैमाईश कर सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन राजस्व कार्मिक टीम से करावें। सीमाचिन्ह कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावे।

8
(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

निर्णय आज दिनांक 21/06/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया



6
(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)
तारानगर (चूरु)